

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)
संख्या-23/2019/1809/सात-न्याय-2-2019-159जी/96
लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2019

अधिसूचना

स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या-16 सन् 1985) की धारा 36 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से, शासनादेश संख्या-10/2016/870/सात-न्याय-2-2016-85जी/2012 दिनांक 06 जुलाई, 2016 द्वारा सृजित विशेष न्यायालय, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-दो में उल्लिखित जिलों के लिए गठित करते हैं और पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ-तीन में उल्लिखित जिलों के लिए अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालयों की संख्या विनिर्दिष्ट करते हैं:-

अनुसूची-1

क्रम संख्या	जिलों के नाम	विशेष न्यायालयों की संख्या
एक	दो	तीन
1	गाजियाबाद	02
2	बरेली	01
3	वाराणसी	02
4	कानपुर नगर	02
5	इलाहाबाद	02
6	बलिया	01
7	चन्दौली	01
8	आगरा	02
9	गाजीपुर	01
10	फर्रुखाबाद	01
11	आजमगढ़	02
12	हमीरपुर	01
13	सीतापुर	02
14	झाँसी	01
15	बदायूँ	01
16	जौनपुर	01
17	गोरखपुर	01
18	लखनऊ	01
19	अलीगढ़	01
20	मुरादाबाद	01
21	सोनभद्र	01
22	बहराइच	01
23	मीरजापुर	01
24	फिरोजाबाद	01

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

25	रायबरेली	01
26	गौतमबुद्ध नगर	01
27	बाराबंकी	01
28	कुशीनगर (पड़रौना)	01
29	मेरठ	01
30	बाँदा	01
31	मथुरा	01
32	देवरिया	01
33	रामपुर	01
34	उन्नाव	01
35	कन्नौज	01
36	लखीमपुर खीरी	01
37	अमरोहा (जे०पी० नगर)	01
38	मऊ	01
39	शाहजहाँपुर	01
40	सुल्तानपुर	01
41	बस्ती	01
42	मुजफ्फरनगर	01
43	कानपुर देहात	01
44	भदोही	01
45	कौशाम्बी	01
46	हाथरस	01
47	अम्बेडकर नगर	01
48	जालौन	01
49	हरदोई	01
50	फतेहपुर	01
51	ललितपुर	01
52	महराजगंज	01
53	कांसीराम नगर (कासंगंज)	01
54	प्रतापगढ़	01
55	फैजाबाद	01
56	पीलीभीत	01
57	महोबा	01
58	चित्रकूट	01
59	इटावा	01
60	मैनपुरी	01
61	औरैया	01
62	एटा	01
63	सहारनपुर	01
64	सिद्धार्थनगर	01

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

65	बागपत	01
66	बुलन्दशहर	01
67	गोण्डा	01
68	संतकबीर नगर	01
69	बिजनौर	01
70	बलरामपुर	01
71	श्रावस्ती	01

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह-II)
प्रमुख सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-23/2019/1809(1)/सात-न्याय-2-2019, तद्विनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की एक अंग्रेजी की प्रमाणित प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उ०प्र० असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 19 अगस्त, 2019 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 30 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2019/1809(2)/सात-न्याय-2-2019, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- समस्त जनपद न्यायाधीश, उ०प्र०।
- 5- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- न्याय अनुभाग-9(बजट), उ०प्र० शासन।
- 7- विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
NYAY ANUBHAG-2 (ADHINASTH NYAYALAY)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.23/2019/1809/VII-Nyay-2-2019-159G/96, dated August 19,2019.

NOTIFICATION

No.23/2019/1809/VII-Nyay-2- 2019-159G/96

Lucknow: Dated: August 19, 2019

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No.16 of 1985) the Governor, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to constitute Special Courts which are created by Government order no-10/2016/870/saat-nyay-2-2016-85G/2012 dated 06 July 2016, for Districts mentioned in Column-II of the Schedule below and specify the number of Courts of Additional Sessions Judge for such Districts as mentioned in colume-III of the said Schedule to try the offences under the aforesaid Act.

Schedule

Sl No.	Name of Districts	Number of Special Courts
I	II	III
1	Ghaziabad	02
2	Bareilly	01
3	Varanasi	02
4	Kanpur Nagar	02
5	Allahabad	02
6	Ballia	01
7	Chandauli	01
8	Agra	02
9	Ghazipur	01
10	Farrukhabad	01
11	Azamgarh	02
12	Hamirpur	01
13	Sitapur	02
14	Jhansi	01
15	Budaun	01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

16	Jaunpur	01
17	Gorakhpur	01
18	Lucknow	01
19	Aligarh	01
20	Moradabad	01
21	Sonbhadra	01
22	Bahraich	01
23	Mirzapur	01
24	Firozabad	01
25	Raebareli	01
26	Gautam Buddha Nagar	01
27	Barabanki	01
28	Kushinagar (padrauna)	01
29	Meerut	01
30	Banda	01
31	Mathura	01
32	Deoria	01
33	Rampur	01
34	Unnao	01
35	Kannauj	01
36	Lakhimpur kheri	01
37	Amroha (J.P. Nagar)	01
38	Mau	01
39	Shahjahanpur	01
40	Sultanpur	01
41	Basti	01
42	Muzaffarnagar	01
43	Kanpur Dehat	01
44	Bhadohi	01
45	Kaushambi	01
46	Hathras	01
47	Ambedkar Nagar	01
48	Jalaun	01
49	Hardoi	01
50	Fatehpur	01
51	Lalitpur	01
52	Maharajganj	01
53	Kanshiram Nagar (Kasganj)	01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

54	Pratapgarh	01
55	Faizabad	01
56	Pilibhit	01
57	Mahoba	01
58	Chitrakoot	01
59	Etawah	01
60	Mainpuri	01
61	Auraiya	01
62	Etah	01
63	Saharanpur	01
64	Siddharthnagar	01
65	Baghpat	01
66	Bulandshahr	01
67	Gonda	01
68	Sant Kabir Nagar	01
69	Bijnor	01
70	Balrampur	01
71	Shravasti	01

By Order,

(Dinesh Kumar Singh-II)
Principal Secretary.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।